पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 783/अका./वि.प.स्थायी समिति/2025 रायपुर, दिनांक 22/04/2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21.04.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
3. डॉ. निनाद बोधनकर – सदस्य
4. डॉ.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
6. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
7. डॉ. जी.के. देशमुख – सदस्य
8. डॉ. शांतनु पॉल – सदस्य
9. डॉ. रिया तिवारी – सदस्य
10. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.02.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	दिशा कॉलेज, रामनगर कोटा रोड, रायपुर	B.A.-II Year- (आ.पा., समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र)	60	2024–25
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

स्थायी सम्बद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **स्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर, जिला–रायपुर	M.A. Hindi	25	2024–25
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों को सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ स्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक 210 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन के उल्लेखित प्रावधानों के संबंध में विचार करना।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन के अनुक्रम में विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु समिति गठित किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

1. डॉ. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
2. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल, संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा संकाय
3. डॉ. बी.एस. ठाकुर, अध्यक्ष, गणित अध्ययनशाला एवं समन्वयक NEP Cell
4. डॉ. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय

उक्त समिति निम्नलिखित एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विचार करते हुए अभिमत प्रस्तुत करेंगे–

1. **ATKT से संबंधित प्रावधान।**
2. **अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 8.7 में उल्लेखित Grace दिये जाने के अनुक्रम में विनियम में संशोधन प्रस्ताव।**
3. **भूतपूर्व छात्र (EX) के संबंध में।**
4. **आंतरिक मूल्यांकन में Absent होने पर परीक्षा परिणाम के संबंध में रेगुलेशन के बिंदु क्र. 10, 11 के अंतर्गत।**
5. **अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 13.2 में उल्लेखित पुनर्गणना से संबंधित प्रावधान।**
6. **अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 12 के अनुसार conversion of Percent के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को मार्कशीट में प्रतिशत प्रदान करने संबंधित।**
7. **रेगुलेशन के बिंदु क्र. 16 में उल्लेखित Chalange Valuation से संबंधित जानकारी (Fee/Remuneration etc.)**
8. **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से प्रवेश देने के संबंध में प्रावधान**

05. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग की कक्षा के शुल्क एवं सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में सत्र 2025–26 से प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग पाठ्यक्रम के लिये 30 सीट निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम के लिये ट्यूशन फीस 15,000/– (रु. पन्द्रह हजार मात्र) तथा विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" समाहित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" में संशोधन को समाहित करते हुए निम्नानुसार अनुशंसा की गई –

Ordinance No.		Current provisions	Proposed Provisions	Justification
170	2	(e)For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	(e)For admission in Microbiology, Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Sciences at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	Microbiology is also Allied subject .

	2	Not exits	(p) For Admission in M.Sc. Data Science a candidate should have a Bachelor's degree in Science /Art/Commerce at least 2nd division with one paper Maths	Start New Course M.Sc. Data Science

07. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 20.03.2025 के पद क्रमांक–05 में लाईफ साईस संकाय के विषयों में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णोपरांत विषय बदलकर पी.एच.डी. करने की अनुमति चाहने वाले छात्रों के पात्रता प्रकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2025 में की गई अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **पी.एच.डी. करने की अनुमति चाहने वाले छात्रों के पात्रता प्रकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2025 की अभिमत को निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान की गई :–**

1. **आगामी वर्ष से लाईफ साईस विषय में पी.एच.डी. प्रवेश हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाए जिसमें निम्नांकित विषय सम्मिलित होगें :– बायो साइंस, लाईफ साईस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी।**
2. **छात्रगण कु. साक्षी अग्रवाल, गिरधर साहू एवं आशुतोष सोनी के विषय में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा पी–एच.डी. में प्रवेश हेतु प्रदान की गई अनुमति के सापेक्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**
3. **पात्रता प्रमाण–पत्र के प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन की अनुशंसा की गई –**
   - **(i) ''मुख्य परीक्षा'' को सुस्पष्ट करते हुए छात्रों द्वारा आवेदित परीक्षा / कक्षा का नाम स्पष्ट लिखा जाना है।**
   - **(ii) ''परीक्षा संबंधित अध्यादेश'' में जोड़ा जाना है कि – ''परीक्षा संबंधित अध्यादेश, पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश / विनियम'' तथा**
   - **(iii) ''उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत'' में जोड़ा जाना है कि – ''उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तथा पाठ्यक्रम से संबंधित नियामक संस्थान द्वारा प्रावधानित सभी शर्तें'' पूर्ण करते हों।**

08. स्नातकोत्तर स्तर 2024–26 के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित इंटर्नशिप विश्वविद्यालय अध्ययनशाला अथवा संबद्ध समस्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए प्रभावशील किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्नातकोत्तर स्तर 2024–26 के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित इंटर्नशिप हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई–**

1. **विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में इंटर्नशिप अनिवार्य होगा।**
2. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में 30 घण्टे का इंटर्नशिप अथवा समतुल्यतायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता की जा सकती है।**

09. बी.वॉक तदर्थ अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 12.04.2025 का कार्यवृत्त का अनुशंसा करना।

निर्णयः **बी.वॉक. तदर्थ अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 12.04.2025 में आर.आई.टी.टी.ई.महाविद्यालय में प्रस्तावित बी.वॉक. (टूरिज्म एण्ड हास्पिटालिटी मैनेजमेंट) के पाठ्यक्रम की निम्नानुसार अनुशंसा की गई –**

1. **The Syllabus for B.Voc. in Tourism & Hospitality Management as submitted by RITEE, Dumartalab, Raipur is Duly approved;**
2. **The guidelines for faculty appointment, as per AICTE, for the above said course is attached herewith and proivede to RITEE;**
3. **The Syllabus for B.Voc. in Tourism & Hospitality Management will by governved by Ordinance No. 188**

10. शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 11 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 650.A/अका./2023 दिनांक 09.09.2023 की सूचना ग्रहण करना–

1. Guidelines for Curriculum Feedback
2. Manual for Outcome based Curriculum framework
3. Policy on Slow and Advanced Learners
4. Policy on Recognizing and Rewarding Outstanding Achievements of Faculty, Staff and Students
5. Institution Innovation Council Policy
6. Code of Ethics for Research
7. Code of Conduct for Faculty, Non-Teaching Staff, and Students
8. Memorandum of Understanding (MoU) Policy
9. University Cyber Policy (Information Technology Infrastructure Usage Policy)
10. Placement Policy
11. Guidelines for Alumni Cell

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई।

11. शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 16 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 2457/अका./2024 दिनांक 24.01.2024 की सूचना ग्रहण करना–

1. Institutional Research and Development Policy
2. Policy on Establishing and Operationalizing the Central Instrument Facility (CIF)
3. Environment and Energy Usage Policy
4. Solid Waste and E-Waste Management Policy
5. Fees Refund Policy
6. Website Policy
7. Plagiarism Policy
8. Social-Extension (SE) Policy
9. Publicity and Competitive Marketing Policy
10. Student Support Policy
11. Information Technology Infrastructure Usage Policy
12. Policy on Biodiversity Compliance Cell (BCC)
13. Policy on the Equal Opportunity Cell (EOC)
14. Maintenance Policy
15. e-governance Policy
16. Resource mobilisation policy

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई।

12. NCTE के आदेश F.No.WRC/APP3442/B.Ed./407th/CG/2024/225624 Date : 06.11.2024 के द्वारा कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राम–नरदहा, पोस्ट–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से अस्थायी सम्बद्धता निरस्त किया जाए। निरस्त करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का पूर्व बकाया शेष न हो।

13. NCTE के आदेश F.No.WRC/APP1937/B.Ed./407th/CG/CN-51594/2024/225690 Date : 11.11.2024 के द्वारा कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम–नरदहा, पोस्ट–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से अस्थायी सम्बद्धता निरस्त किया जाए। निरस्त करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का पूर्व बकाया शेष न हो।

14. NCTE के Minutes of 407th Meetion of WRC HEALD on 23rd-24th September, 2024 मीटिंग में रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज ग्राम–धनेली, माना, रायपुर (छ.ग.) को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से अस्थायी सम्बद्धता निरस्त किया जाए। निरस्त करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का पूर्व बकाया शेष न हो।**

15. "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" के प्रस्तावित विनियम पर विचार करना।

निर्णयः **"श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" का विनियम क्रमांक 222 की अनुशंसा की गई।**

16. पी–एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विचार करना –

1. प्रत्याशियों को पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते समय विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा प्रादेशिक आरक्षण नीति का समुचित ध्यान रखने पर विचार करना।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है। उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निदेशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किये जाने, किन्तु इस स्थिति में शोधार्थी को शोध केन्द्र से एक सह–निदेशक लेना अनिवार्य किए जाने पर विचार करना।
3. आरक्षण शोध निदेशक की ओर लागू होगा तथा सह–निदेशक पर उनके रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश हेतु विचार करना।
4. Revised Ordinance-45 की कंडिका 10(g) के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत Scientist/Director/Research Officer/Equivalent position को विश्वविद्यालय Supervisor/Co-supervisor मान्य किये जाने के संदर्भ में विचार।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक– F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22 माघ 1946/11 February, 2025 के संबंध में चर्चा एवं विचार।
6. संशोधित अध्यादेश–45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु समिति गठित करने पर विचार।

निर्णयः **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति को कुलसचिव ने अवगत कराया कि पी–एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला तथा जैविकी अध्ययनशाला की वर्ष 2009 से 2025 तक की विभागीय शोध समिति पंजी का अवलोकन किया गया। जिसमें परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2016 से पूर्व शोध छात्रों को प्रवेश देते समय आरक्षित वर्ग का छात्र उपलब्ध नहीं होने पर अन्य वर्ग से प्रवेश दिया जाता था। पी–एच.डी. संबंधी मूल नस्ती के पृष्ठ क्रमांक–49 पर सन् 2016 में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति द्वारा "प्रवेश के समय किसी भी स्थिति में आरक्षित वर्ग की सीट अन्य वर्ग से नहीं भरा जाए" का निर्णय भी लिया गया है।**

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 में शोध निदेशक तथा सह निदेशक के निर्धारण संबंधी निर्णय लिया गया है किन्तु सहनिदेशक के आरक्षण के संबंध में तथा आरक्षित सीटों की क्रमानुसार पूर्ति करने के संबंध में निर्णय परिलक्षित नहीं है। उक्त के अनुक्रम में समग्रता के साथ चर्चा उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा की गई –

1. **प्रत्येक शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों में से छत्तीसगढ़ शासन के प्रवेश नीति में दर्शित प्रतिशत के अनुसार विभिन्न वर्गो के लिये सीट आरक्षित होगी।**
2. **ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, वे अपने अधीन शोंधार्थियों के शोध पंजीयन हेतु नजदीकी शोध केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित संबंधित शोध केन्द्र का चयन कर सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में शोधार्थी के लिये उस शोध केन्द्र से एक सह–निदेशक रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, शोध निदेशक केवल एक ही शोध केन्द्र का चयन कर सकेंगे।**
3. **किसी शोध छात्र के प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों पर लागू होगा। शोध छात्र के साथ सह–निदेशक होने की स्थिति में सह–निदेशक की उपलब्ध सीटों में से प्रथमतः शोध छात्र के वर्ग की सीट आबंटित की जायेगी। यदि सह–निदेशक के पास उस वर्ग की सीट उपलब्ध नहीं है, तो शोध प्रसार की दृष्टि से अन्य वर्ग की उपलब्ध सीट से प्रवेश**

दिया जा सकेगा, किन्तु ऐसी स्थिति में मूल वर्ग की सीट को बैकलाग मानते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अगली रिक्ति पर अनिवार्यतः उस वर्ग की सीट से ही प्रवेश दिया जाए।

4. विश्वविद्यालय से **MOU** हस्ताक्षरित करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत **Scientist/ Director/ Research Officer** अथवा समकक्ष पदधारी को **RDC** की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के मान्य **Supervisor/Co-supervisor** के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक– **F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22** माघ **1946/11 February, 2025** को अंगीकृत किया गया।
6. संशोधित अध्यादेश–45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई –
   1. डॉ. कल्लोल कुमार घोष, प्राध्यापक, रसायन अध्ययनशाला
   2. डॉ. निनाद बोधनकर, अध्यक्ष, **Research & Development Cell,**
   3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय
   4. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय

17. सत्र **सत्र 2020–21, 2021–22, 2022–23** के लिए '**स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी, रायपुर**' ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

21/4/25   21/4/25

कुलपति
अध्यक्ष   कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 784 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2025   रायपुर, दिनांक 22/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित्।

उप–कुलसचिव (अका.)